

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) सं.प.अ./ 162 /2024 दिनांक : 18.07.2024

श्रीमती कुन्तल जैन (RJ0474), अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण), भरतपुर को दिनांक 22.07.2024 से 02.08.2024 तक 12 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 21.07.2024 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती जैन की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-01, भरतपुर/अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-03, भरतपुर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण), भरतपुर के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/20/2015/ 5868

दिनांक : 18.07.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भरतपुर को उनके पत्रांक 2900 दिनांक 24.06.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती कुन्तल जैन (RJ0474), अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण), भरतपुर।
4. अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण), भरतपुर।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-01, भरतपुर।
6. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-03, भरतपुर।


18/7/2024
सहायक रजिस्ट्रार